भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2131**

(जिसका उत्तर मंगलवार 08 अगस्त, 2023/17 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

**भारतीय अर्थव्यवस्था से गायब हो रहे करेंसी नोट**

**2131. श्रीमती रंजीत रंजन:**
**डॉ. अमी याज्ञिक:**
**श्रीमती फूलो देवी नेतम:**
**श्री के.सी. वेणुगोपाल**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार अर्थव्यवस्था से 500 रुपये के नोटों के गायब होने का संकेत देने वाली मीडिया रिपोर्टों से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने 500 रुपये के नोट गायब हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में पकड़े गए 91,110 नकली नोटों के साथ इनमें हुई 14.4 प्रतिशत की वृद्धि के आरबीआई के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये के नकली नोटों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 17.06.2023 की प्रेस विज्ञप्ति (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55878) के माध्यम से सूचित किया है कि मीडिया के कुछ वर्गों में प्रचलित रिपोर्टों में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रित बैंक नोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये रिपोर्ट सही नहीं हैं और प्रिंटिंग प्रेसों से आरबीआई को आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब रखा जाता है। आगे यह बताया गया है कि प्रेसों में मुद्रित और आरबीआई को आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के मिलान के लिए मजबूत प्रणालियां मौजूद हैं, जिनमें बैंक नोटों के उत्पादन, भंडारण और वितरण की निगरानी करने के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं।

(ग) और (घ) नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) के प्रचलन को रोकने के लिए, भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को अधिनियमित किया, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) का गठन किया है, जो भारत में एफआईसीएन की उच्च गुणवत्तापूर्ण जाँच के लिए केंद्रीय एजेंसी है, राज्यों/केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना साझा करने के लिए एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) का गठन किया है और आतंकी वित्तपोषण और नकली मुद्रा से संबंधित मामलों की गंभीरता से जांच करने के लिए एनआईए में आतंकी वित्तपोषण और नकली मुद्रा (टीएफएफसी) प्रकोष्ठ का गठन किया है।

नकली मुद्रा नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए भारत और पड़ोसी देश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, एफआईसीएन के तस्करों की जानकारी और विश्लेषण के आदान-प्रदान के लिए विश्वास और सहयोग सृजित करने के लिए भारत और पड़ोसी देश के बीच एक संयुक्त कार्यबल कार्यरत है।

सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करती है। इसके अलावा, कई पड़ोसी देशों के पुलिस अधिकारियों को भारतीय मुद्रा की तस्करी/जालसाजी के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

2015 में, आरबीआई ने महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में सभी मूल्यवर्ग में नए सुदृश्य नंबरिंग पैटर्न और अन्य दृश्यमान विशेषताओं वाले बैंक नोट जारी किए थे। दृश्यमान सुरक्षा सुविधाओं से, आम जनता आसानी से नकली नोट और असली नोट में अंतर कर सकती है। इन नोटों की सुरक्षा विशेषताओं का विवरण आम जनता के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आरबीआई जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए बैंकों को विभिन्न निर्देश जारी करता है। आरबीआई बड़ी मात्रा में नकदी संभालने वाले बैंकों और अन्य संगठनों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए नकली नोटों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। आरबीआई ने 03 अप्रैल, 2023 को नकली नोटों का पता लगाने, रिपोर्टिंग और निगरानी पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया है जो नकली नोटों का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रिया के व्यापक प्रसार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

*****